International Journal of Applied Research 2017; 3(9): 191-194

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(9): 191-194
www.allresearchjournal.com
Received: 28-05-2017
Accepted: 30-06-2017

डॉ. अरुण कुमार ओझा
प्राचार्य, वैश्णवी शिक्षा महाविद्यालय, घुरेहटी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Correspondence
डॉ. अरुण कुमार ओझा
प्राचार्य, वैष्णवी शिक्षा महाविद्यालय, घुरेहटी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के नामांकन दर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. अरुण कुमार ओझा

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के नामांकन दर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन पर आधारित है। भारत ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक लम्बा सफर तय किया है, इसलिए इससे बुनियादी शिक्षा में बदलाव को लेकर व्यापक उम्मीदें भी जुड़ी थीं, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के पांच वर्षों के बाद हमें कोई बड़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों का नामांकन दर छात्राओं के नामांकन दर की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, कि रीवा जिले में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्र और छात्राओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परि

शब्द कुंजी : शिक्षा के अधिकार, प्रभाव, शहरी एवं ग्रामीण, प्रारंभिक शिक्षा।

1. प्रस्तावना
प्राचीन भारत का शिक्षा दर्शन आदर्शवादी शिक्षा दर्शन माना जाता है, किन्तु आदर्शवाद के सिद्धांत का जो स्वरूप यूरोप में प्रचलित हुआ उससे भारतीय आदर्शवाद का शिद्धांत पूर्णतः भिन्न है। भारतीय शिक्षा का आदर्शवाद छात्र को केवल किसी विशेष सिद्धांत के अनुसार शिक्षा देना ही पर्याप्त नही समझता था, अपितु वह शिक्षा व संस्कारों के माध्यम से आदर्श के अनुरूप जीवन गठन की व्यवस्था थी। भारतीय जीवन का सनातन आदर्श आध्यात्मिकता है। छात्र ब्रह्मचर्य आश्रम गुरूकुल में रहकर पूर्ण करता था। उसके पूर्ण जीवन शरीर, मन, बुध्दि, आत्मा का विकास संस्कारों की पध्दति से होता था। उपनयन संस्कार के साथ छात्र गुरूकुल आश्रम में प्रवेश करता था। इन गुरूकुलों का जीवन तथा गुरू और शिष्यों का सम्बन्ध इतना उदात्त और आदर्श था कि उस जीवन पध्दति में पलने वाले सभी छात्र अत्यन्त तेजस्वी, बुध्दिवान और चरित्रवान होते थे।

"शिक्षा विकास एवं प्रगति की कुंजी है।"[1]
शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उनके व्यक्तित्व को निखारती है और व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उनके विचार एवं व्यवहार मे समाज के लिए हितकर परिवर्तन करती है। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक समय उसका प्रभाव किसी न किसी रूप मे अवश्य विद्यमान रहता है। मानव का अस्तित्व बिना शिक्षा के ''बिना पतवार के नाव'' के समान है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक प्राणियों की आन्तरिक शक्तियों को समझनें एवं अन्तर्निहित शक्तियों के समुचित विकास करने में प्रमुखतया रहती है जिससे वह कल्पना तर्क अथवा जिज्ञासा द्वारा नवीन योगदान दे सके।
प्रदेश के शासकीय प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों का औसत 2.5 है, जो कि देश में सबसे खराब है। म.प्र. के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग एक लाख पद रिक्त हैं। 5295 विद्यालय ऐसे हैं, जहां शिक्षक ही नहीं हैं, जबकि 17 हजार 972 शालायें केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रही हैं। गुणवत्ता की बात करें तो असर रिपोर्ट के अनुसार 2009 में मध्यप्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 3 के 74.1 प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा के पाठ को पढ़ सकते थे, जबकि 2014 में यह दर घट कर 16.2 प्रतिशत हो गई।
इस अधिनियम में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान का आवधान है, जिससे ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके।

यदि विचार किया जाए तो आज देशभर में विद्यालयों से वंचित लगभग एक करोड़ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सचमुच हामरे लिए एक दुष्कर कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों – माता–पिता, शिक्षक, स्कूलों, गैर–सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की ओर से एकजुट प्रयास का आहवान किया गया है।

इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पहुंच के भीतर वाला कोई निकटवर्ती विद्यालय किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। इसमें यह भी प्रावधान शामिल है कि प्रत्येक 30 छात्र के लिए एक शिक्षक के अनुपात को कायम रखते हुए पर्याप्त संख्या में सुयोग्य शिक्षक विद्यालयों में मौजूद होना चाहिए। विद्यालयों को पांच वर्षों के भीतर अपने सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें तीन वर्षों के भीतर समुचित सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी होगी, जिससे खेल का मैदान, पुस्तकालय, पर्याप्त संख्या में अध्ययन कक्ष, शौचालय, शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए निर्बाध पहुंच तथा पेय जल सुविधाएं शामिल हैं। विद्याय प्रबंधन समितियों के 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों की कार्यप्रणाली और अनुदानों के इस्तेमाल की देखरेख करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां अथवा स्थानीय अधिकारी स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिलाएंगे। सम्मिलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी विद्यालय भी सबसे निचली कक्षा में समाज के गरीब वर्गो के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे।

2. शोध की आवश्यकता एवं महत्व

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र में शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के नामांकन दर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का आकंलन किया गया तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये गये जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर शैक्षिक सूचकों व लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से विकसित करने में समर्थ हो सकता है। चूंकि हमारे देश में सन् 2010 तक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सकल नामांकन, शालात्यागी दर मे कमी तथा न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने का संकल्प लिया था। अतः इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की दिशा में इस शोधकार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

शिक्षा हेतु इन योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन पर आधारित इस शोध कार्य का महत्व निम्नलिखित है–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्राओं के नामांकन दर में वृद्धि हुई है।

3. उद्देश्य

किसी भी शैक्षिक शोध के कुछ निश्चित बिन्दु होते हैं, जिनको प्राप्त करने की दिशा मे शोध उन्मुख होता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह है कि जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के नामांकन दर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव की वास्तविक स्थित का अध्ययन करना तथा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर इस विशेष अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रभाव की वास्तविकता को प्रकट कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है :–

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्रों के नामांकन दर में वृद्धि का आंकलन हो सकेगा।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्राओं के नामांकन दर में वृद्धि का आंकलन हो सकेगा।

4. परिकल्पनाएँ

शोध कार्य में परिकल्पना प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है, जिससे समस्या समाधान को उचित दिशा मिलती है। विज्ञान में एक ही परिकल्पना को लेकर उसका परीक्षण करते हैं, किन्तु शैक्षिक अनुसंधान में अनेक परिकल्पनायें लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अतः परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है जैसे–

गुड तथा हैट के अनुसार – "एक परिकल्पना यह बात कहती है जिसे हम आगे सोचते हैं। परिकल्पना सदैव आगे को देखती है। यह एक साध्य होती है, जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है। यह सत्य सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।"[2]

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् हैः–

1. "रीवा जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।"

5. परिसीमांकन

शोध हेतु रीवा जिले की राजस्व सीमा के प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालय के छात्र–छात्राओं का चयन दैव निर्देशन विधि द्वारा किया गया है।

6. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। जिले के सभी 9 विकासखण्डों से 5–5 विद्यालय कुल 45 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु लिया गया। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

7. शोध विधि

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन के विधिवत सम्पादन के लिए अभिलेख अध्ययन विधि का चयन किया गया है–

अभिलेख अध्ययन विधिः शोध कार्य के तथ्यपूर्ण उपलब्धि के लिए अभिलेख अध्ययन विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। अभिलेख अध्ययन से तात्पर्य, शोध समस्या से सम्बंधित उन समस्त अभिलेखों, पुस्तकों, ज्ञान कोषों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, शोध–पत्रों प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रबंधों से है, जिनके अध्ययन से शोधार्थी को अपनी शोध समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है।

8. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे

बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से कुमार, डॉ. संजय (2009)[3], पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013)[4], पंकज तिलकराज (2005)[5], सिंह, शिव प्रकाश (2007)[6] एवं सिद्दीकी, एस.ए. (2004)[7] ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

9. शोध उपकरण

शाला अभिलेख–पत्रकः शाला अभिलेख पत्रक द्वारा विद्यालय की सामान्य जानकारी, शिक्षकों के कुल पद, विद्यालय में छात्रों के नामांकन, शालात्यागी छात्रों एवं विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बंधित प्रश्नों द्वारा संकलन किया गया है।

10. शोध क्षेत्र का परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.180 उत्तरी अक्षांश से 250 उत्तरी अक्षांश तथा 81.20 पूर्वी देक्षांश से 82.180 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

11. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना – "रीवा जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।"

सारणी 1: शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों (बालकों) के नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर) (सत्र–2012–13)

क्र.	विकासखण्डों का नाम	कुल नामांकित बालकों की संख्या A	नवीन नामांकित बालकों की संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दर = A-B	प्रतिशत
1.	रीवा	1125	278	24.71	847	32.82
2.	रायपुर–कर्चुलियान	1138	210	18.45	928	22.63
3.	गंगेव	1130	205	18.14	925	22.16
4.	सिरमौर	1025	155	15.12	870	17.82
5.	मऊगंज	945	147	15.56	798	18.42
6.	नईगढ़ी	978	166	16.97	812	20.44
7.	हनुमना	1011	197	19.49	814	24.20
8.	त्योंथर	964	206	21.37	758	27.18
9.	जवा	1030	265	25.73	765	34.64
योग		9346	1829	19.57	7517	24.33

विश्लेषण एवं व्याख्याः उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 में, शोध क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड से प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के न्यादर्श में चयनित 05–05 विद्यालयों कुल मिलाकर 45 विद्यालयों में सत्र 2012–13 में हुए छात्रों (बालकों) के नामांकन दर को दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 1 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर सत्र 2012–13 में छात्रों के नामांकन में वृद्धि दर रीवा विकासखण्ड में 32.82 प्रतिशत, रायपुर–कर्चुलियान विकासखण्ड में 22.63 प्रतिशत, गंगेव विकासखण्ड में 22.16 प्रतिशत, सिरमौर विकासखण्ड में 17.82 प्रतिशत, मऊगंज विकासखण्ड में 18.42 प्रतिशत, नईगढ़ी विकासखण्ड में 20.44 प्रतिशत, हनुमना विकासखण्ड में 24.20 प्रतिशत, त्योंथर विकासखण्ड में 27.18 प्रतिशत एवं जवा विकासखण्ड में 34.64 प्रतिशत रहा है। जबकि संपूर्ण शोध क्षेत्र में छात्रों के नामांकन में औसत वृद्धि दर 24.33 प्रतिशत रहा है।

अतः स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में कुल नामांकित बालकों की संख्या 9346, नवीन नामांकित बालकों की संख्या 1829, प्रतिशत 19.57 तथा वृद्धि दर संख्या 7517 व प्रतिशत 24.33 है।

सारणी 2: शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्राओं (बालिकाओं) के नामांकन का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर) (सत्र–2012–13)

क्र.	विकासखण्डों का नाम	कुल नामांकित बालिकाओं की संख्या ।	नवीन नामांकित बालिकाओं की संख्या ठ	प्रतिशत	वृद्धि दर त्र ।.ठ	प्रतिशत
	रीवा	1088	245	22.52	843	29.06
	रायपुर–कर्चुलियान	947	148	15.63	799	18.52
	गंगेव	933	125	13.40	808	15.47
	सिरमौर	966	136	14.08	830	16.39
	मऊगंज	965	122	12.64	843	14.47
	नईगढ़ी	914	113	12.36	801	14.11
	हनुमना	928	124	13.36	804	15.42
	त्योंथर	955	127	13.30	828	15.34
	जवा	904	133	14.71	771	17.25
योग		8600	1273	14.80	7327	17.37

विश्लेषण एवं व्याख्याः उपरोक्त सारणी क्रमांक – 2 में शोध क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड से प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के न्यादर्श में चयनित 05–05 विद्यालयों, कुल मिलाकर 45 विद्यालयों में सत्र 2012–13 में हुए छात्राओं (बालिकाओं) के नामांकन दर को दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 2 के ऑकड़े यह दर्शातें हैं, शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर सत्र 2012–13 में छात्राओं के नामांकन में वृद्धि दर रीवा विकासखण्ड में 29.06 प्रतिशत, रायपुर–कर्चुलियान विकासखण्ड में 18.52 प्रतिशत, गंगेव विकासखण्ड में 15.47 प्रतिशत, सिरमौर विकासखण्ड में 16.39 प्रतिशत, मऊगंज विकासखण्ड में 14.47 प्रतिशत नईगढ़ी विकासखण्ड में 14.11 प्रतिशत, हनुमना विकासखण्ड में 15.42 प्रतिशत, त्योंथर विकासखण्ड में 15.34 प्रतिशत एवं जवा विकासखण्ड में 17.25 प्रतिशत रहा है। जबकि संपूर्ण शोध क्षेत्र में छात्राओं के नामांकन में औसत वृद्धि दर 17.37 प्रतिशत रहा है।

अतः स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में कुल नामांकित बालिकाओं की संख्या 8600, नवीन नामांकित बालिकाओं की संख्या 1273, प्रतिशत 14.80 तथा वृद्धि दर संख्या 7327 व प्रतिशत 17.37 है।

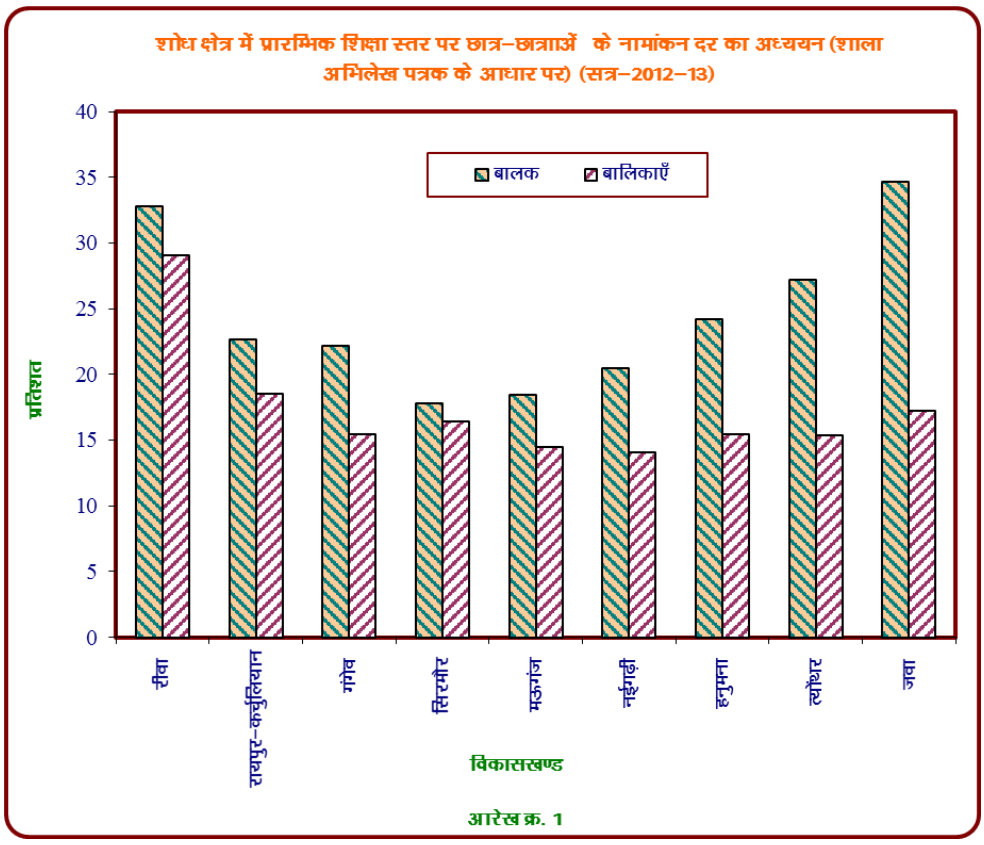

आरेख क्र. 1

उपरोक्त दोनों सारणीओं (सारणी क्रमांक – 1 एवं 2) का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों का नामांकन दर छात्राओं के नामांकन दर की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, कि रीवा जिले में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्र और छात्राओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अतः शोधार्थी द्वारा परिकल्पित परिकल्पना सत्यापित होती है।

12. निष्कर्षः

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि सारणी क्रमांक – 1 एवं 2 का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि शोध क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्रों का नामांकन दर छात्राओं के नामांकन दर की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, कि रीवा जिले में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर छात्र और छात्राओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

13. संदर्भ

1. कम्युनिटी डेवलमेन्ट इन इण्डिया किताब घर कानपुर–पृ. 82.
2. सरीन डा. शशिकला एवं सरीन डा. अंजली– शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2 नवीनतम संस्करण 1998 पृष्ठ संख्या– 82
3. कुमार, डॉ. संजय (2009), 'सर्व शिक्षा अभियान' अल्फा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
4. पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013) – अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
5. पंकज तिलकराज (2005)– सर्वशिक्षा अभियान एवं प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, प्राथमिक शिक्षक एन.सी.ई.आर.टी. की त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 30, अंक +2, पृ0 35–39।
6. सिंह, शिव प्रकाश (2007)– भारत में 'सभी के लिये शिक्षा' अभियानः मिथक या वास्तविकता, प्रतियोगिता दर्पण, मासिक पत्रिका प्रकाशक एवं मुद्रक महेन्द्र जैन, आगरा, पृ0 1878–1879।
7. सिद्दीकी, एस.ए. (2004)–मध्यप्रदेश संपूर्ण अध्ययन, उपकार प्रकाशन, आगरा।